EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED 1st JANUARY, 2019

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेश

दिनांक 01 जनवरी, 2019

संख्या 01/जीएसटी–2.– चूंकि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 की उपधारा (1) यह उपबंधित करती है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या 52 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उत्तरवर्ती दिसम्बर के इकतीसवें दिन को या उससे पहले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए उन्नत प्रक्रम पर इलैक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की जानी और 31 जनवरी, 2019 तक प्रचलित की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप, उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रथम जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी और इसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेश करते हैं कि धारा 44 के प्रयोजनों हेतु, प्रथम जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी, 30 जून, 2019 को या से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED 1st JANUARY, 2019

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Order

The 1st January, 2019

No.01 /GST-2.-WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, the electronic system to be developed is at the advanced stage and is likely to be made operational by the 31st January, 2019 as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the said Act, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, for the purpose of section 44 orders that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the 30th June, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.